राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान

जे–8–ए, झालाना संस्थानिकी क्षेत्र, जयपुर

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान (प्रशिक्षण शाखा)

डब्ल्यू–6, रेज़ीडेन्सी रोड़ (गौरव पथ), जोधपुर–342011

Web site: http://dot.rajasthan.gov.in

E-mail : rajitiadmission2024@gmail.com

राजकीय/प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केन्द्रीकृत ऑनलाईन प्रवेश एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु

विवरणिका एवं निर्देश :: सत्र 2024–2025/26

संदर्भ सूची (Index)

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया	1
3	प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यताएं	2
4	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम योग्यता	2
5	योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी	2
6	प्रवेश में आरक्षण के प्रावधान	3
	संस्थान व व्यवसाय आवंटन की प्रक्रिया	
7	प्रथम चरण	8
8	द्वितीय चरण	9
9	रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया	9
10	अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु प्रक्रिया	9
11	तृतीय चरण	9
12	अंतिम आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना	9
13	इन्टरनल स्लाईडिंग	9
14	अन्य सामान्य अनुदेश एवं अनुशासनात्मक नियम	9
15	प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को सुविधाएं	10
16	राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण व अन्य शुल्क	10
17	छात्रावास शुल्क	11
18	प्रवेश अनुमति प्राप्त प्राईवेट आईटीआई में प्रशिक्षण शुल्क	11

परिशिष्टों का विवरणः–

I	सैनिकों के आश्रितों द्वारा दिया जाना वाला प्रमाण पत्र	12
II	अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर)/अति पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) हेतु प्रमाण पत्र का प्रारुप	13
III	नॉन क्रीमीलेयर सम्बन्धी शपथ पत्र का प्रारुप	14
IV	नाम व उपनाम में अन्तर होने बाबत् शपथ पत्र का प्रारुप	15

1. प्रस्तावना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ''शिल्पकार प्रशिक्षण योजना'' (Craftsmen Training Scheme) का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजनान्तर्गत ''राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्'' (NCVT) एवं ''राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्'' (SCVT) के निर्धारित छः माह, एक व दो वर्षीय इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के निम्न उद्देश्य हैं:–

1. उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना।
2. तकनीकी और औद्योगिक अभिव्यक्ति उत्पन्न कर स्वरोज़गार के लिए सक्षम बनाना।
3. औद्योगिक उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना।
4. प्रशिक्षणार्थी को ज्ञान के साथ–साथ कौशल (अर्थात् कार्य को स्वयं द्वारा सम्पादित करने की सक्षमता) प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण की अवधि में प्रतिदिन लगभग 8 घण्टे नियमित रूप से कार्य करना होता है। यह प्रशिक्षण मेहनत का है तथा प्रशिक्षण की अवधि में एवं प्रशिक्षण के पश्चात् रोजगार में हर प्रकार का रख–रखाव, सफाई और मेहनत का कार्य करना होता है। अतः अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले इस संबंध में यह निश्चय कर ले कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण का इच्छुक है तथा इसे अपनी जीविकोपार्जन का माध्यम बनाना चाहता है।

दो वर्षीय इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रशिक्षणार्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। 8वीं/10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष के एनसीवीटी कोर्स में प्रशिक्षण करने पर क्रमशः 10वीं/12वीं कक्षा की समकक्षता हेतु भी आवेदन कर सकता है।

राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई भी आदेश जारी करने पर वह तुरन्त प्रभाव से इस प्रक्रिया पर लागू किया जा सकेगा यथा संस्थानों की संख्या, सीटों की संख्या, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य नियम इत्यादि।

2. प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु नोडल एजेन्सी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण शाखा), राजस्थान, डब्ल्यू–6, गौरव पथ, जोधपुर– 342011 (Directorate of Technical Education (Traininig Wing) Rajasthan, W-6, Gaurav Path, Jodhpur- 342011) है।

   औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अन्तरिम सूची (सीट मेट्रिक्स) विभागीय वेबसाईट (http://livelihoods.rajasthan.gov.in) में दी गई है। इन प्रवेश स्थानों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। सत्र 2024–25/26 में ''राष्ट्रीय/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद'' से सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों, व्यवसाय व प्रवेश क्षमता के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा। ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में संस्थान व व्यवसाय का ऑप्शन भरने से पूर्व अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध **नवीनतम जानकारी** प्राप्त करें। तदुपरान्त ही ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में प्रविष्टियां करें।
2. केन्द्रीकृत आर्नलाईन प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया 8वीं एव 10वीं उत्तीण योग्यता वाले व्यवसायों हेतु की जाएगी। **डीजीटी,नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यार्थी के लिए आधार नम्बर, यूनीक मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी होना आवश्यक है। जिन्हें प्रवेश प्रकिया प्रारम्भ से प्रशिक्षण पूर्ण होने तक कियाशील रखना भी आवश्यक है।**
3. आवेदन करनाः– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को वेबसाईट http://hteapp.hte.rajasthan.gov.in/iti_admission/ अथवा https://sso.rajasthan.gov.in पर आवेदन हेतु ऑनलाईन आवेदन का निर्धारित शुल्क 100/– रूपये सामान्य अभ्यर्थी एवं 75/– रूपये एस.सी./एस.टी. अभ्यर्थी हेतु का शुल्क जमा करवाकर <u>ऑनलाईन ही आवेदन</u> करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया में 100/– रूपये प्रोसेसिंग फीस भी जमा करानी होगी। आवेदन पत्र submit होने पर आवेदक को इसकी सूचना पोर्टल पर Know your status option पर प्राप्त होगी। नाम व उपनाम में अन्तर की अवस्था में परिशिष्ट – IV का उपयोग करे।
4. निर्धारित अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी पोर्टल पर ऑनलाईन संस्थान व व्यवसाय का विकल्प भरेगा। जिसके आधार पर उसे संस्थान व व्यवसाय का आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी अन्तिम तिथि का इन्तजार न करते हुए समय रहते आवेदन Submit करे।

5. ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक के पश्चात् समस्त आवेदन पत्रों की श्रेणीवार अस्थाई योग्यता सूची जारी की जायेगी। अभ्यर्थी पोर्टल पर निर्धारित तिथि पर अपना योग्यता सूची क्रमांक देख सकता है।
6. अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
7. पूर्व में किसी अभ्यर्थी को संस्थान से निष्कासित किया गया हो तो वह दुबारा प्रवेश का पात्र नहीं होगा।
8. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किसी भी व्यवसाय में 05 अथवा 05 से कम प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश होने पर वह व्यवसाय संचालित नहीं किया जायेगा तथा प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा जमा करवाए हुए आवेदन शुल्क व प्रोसेसिंग फीस के अतिरिक्त सभी शुल्क लौटा दिये जावेगें ।
9. प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र (जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया है) अपवर्ड मूवमेन्ट की प्रक्रिया के पश्चात् अन्तिम आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग के समय जमा कर लिये जायेंगे। ये मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थी का DGT के SID PORTAL पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात् सम्बन्धित संस्थान द्वारा लौटा दिये जायेंगे।
10. केन्द्रीय कारागृह औ.प्र. संस्थानों में कारागृह बंदियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इन संस्थानों में कारागृह प्रशासन द्वारा अग्रेषित बंदियों की संस्थान स्तर पर ही नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया की जाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
11. प्रवेश सम्बन्धी समस्त विषयों पर निदेशक, प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
12. डीजीटी के द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों/संशोधनों की पालना सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को करनी होगी। डीजीटी द्वारा व्यवसायों के जारी नवीनतम सलेबस अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा।

3. प्रवेश के लिये न्यूनतम योग्यताः–

1. अभ्यर्थी 8वीं/राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अन्य बोर्ड की परीक्षाओं की समकक्षता के निर्धारण हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा समकक्षता निर्धारित की गई परीक्षायें ही मान्य होगी।
3. **प्रवेश में आयु सीमाः–** अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 01 सितम्बर को 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

4. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/योग्यताः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छः माह, 01 व 02 वर्ष की अवधि के अभियांत्रिकी एवं गैर अभियांत्रिकी व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यवसायों की प्रशिक्षण अवधि, शैक्षणिक योग्यता, सलेबस एवं यूनिट में प्रवेश स्थान डीजीटी, भारत सरकार की वैबसाईट पर उल्लेखित अनुसार है। डीजीटी की वेबसाईट **www.dgt.gov.in** तथा **ncvtmis.gov.in** का नियमित अवलोकन करें।

5. योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणीः–

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्रक्रिया/नियमों के तहत योग्यता सूची जारी की जायेगी :
योग्यता सूची जारी करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा –

1. <u>प्रथम प्राथमिकता</u>

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी प्रथम प्राथमिकता के अन्तर्गत आयेंगे।

1(A) जिन अभ्यर्थियों ने 8वीं/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा राजस्थान से उत्तीर्ण की हो।

अथवा

1(B) अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।

अथवा

1(C) अभ्यर्थी राजस्थान सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान/पत्नी/पति हो।

अथवा

1(D) अभ्यर्थी भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान/पत्नी/पति हो, जिनका पदस्थापन राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो।

2. <u>द्वितीय प्राथमिकताः—</u>
प्रथम प्राथमिकता के अतिरिक्त अन्य समस्त अभ्यर्थी, जो राज्य के मूल निवासी नहीं है, वे द्वितीय प्राथमिकता में सम्मिलित होंगे।
प्रथम प्राथमिकता की श्रेणीवार योग्यता सूची जारी की जाती है तथा द्वितीय प्राथमिकता के अभ्यर्थियों को इस योग्यता सूची के अन्त में (सामान्य श्रेणी का मानते हुए) स्थान दिया जायेगा।

3. उपरोक्त प्राथमिकताओं के दृष्टिगत, योग्यता क्रमांक निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगाः—
   1. योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा 8वीं/माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर अलग—अलग बनाई जावेगी।
   2. जिस अभ्यर्थी ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से दसवीं परीक्षा पास की है, उसकी अंक तालिका में अंकित सभी विषयों के योग के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा।
   3. पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने अथवा अंक सुधार की स्थिति में बोर्ड द्वारा जारी अंतिम अंकतालिका के प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रमांक का निर्धारण किया जायेगा।
   4. एक समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को जन्मतिथि के आधार पर पहले बड़े को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि जन्मतिथि भी समान हो तो क्रमशः विज्ञान, गणित के अंकों को मानते हुए अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
   5. अन्य राज्यों से शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाऐं जिनका विवाह राजस्थान में हुआ है, प्रवेश हेतु उन्हें उसी जिले का निवासी माना जायेगा जिस जिले में उनका विवाह हुआ है। इसके लिए उन्हें सक्षम अधिकारी का विवाह पंजीयन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   6. केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु अंकतालिका के साथ स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र (टी.सी.) अथवा जन्मतिथि प्रमाण—पत्र (विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया गया हो) की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति अवश्य लगावें।
   नोटः— संस्थान व व्यवसाय का आवंटन होने के पश्चात् अभ्यर्थी को **रिपोर्टिंग के समय** आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका जमा करानी होगी जो कि केवल राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की ही मान्य होगी। गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षण संस्था की मान्यता की पुष्टि हेतु आठवीं कक्षा की अंकतालिका ब्लाक/जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करवा कर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा मान्य नहीं होगी।

6. प्रवेश **में आरक्षण के प्रावधानों का विवरणः**—प्रवेश हेतु निर्धारित क्षमता के अनुसार आरक्षण स्थानों की स्थिति निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगीः

व्यवसाय की निर्धारित क्षमता	अनुसूचित जाति 16%		अनुसूचित जनजाति 12%		अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) 21%		[1]अति पिछड़ा वर्ग* 5 %		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**[2] 10 %		सामान्य वर्ग	
	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
24	3	1	2	1	4	1	1	0	1	1	6	3
20	2	1	1	1	3	1	1	0	1	1	6	2
16	2	1	1	1	2	1	1	0	1	1	4	1

[1] * राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम संख्या प.2(12)विधि/2/2019 दिनांक 13.2.2019 द्वारा जारी अधिनियम के तहत अति पिछड़ा वर्ग के लिये शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये वार्षिक अनुज्ञात संख्या के संबंध में आरक्षण पांच प्रतिशत होगा।

[2] ** राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.7(1)DOP/A-II/2019 Dated 19.02.2019 द्वारा जारी नोटिफिकेशन एवं प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क—2) विभाग के पत्र क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क—2/19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
सामान्य श्रेणी से भिन्न निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवश्यक निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

6.1 श्रेणी–A: SC/ST/OBC/MBC (Non Creamy Layer)/EWS

1. राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति (Scheduled Caste, SC) के लिये 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe, ST) के लिये 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) (Other Backward Class, Non-Creamy layer) को 21 प्रतिशत, अति पिछडा वर्ग (More Backward Class, Non-Creamy layer) के लिये 05 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker section) के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
2. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर), अल्पसंख्यक एवं अति पिछडा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी जिलाधीश/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिस पर प्रेषण संख्या, दिनांक एवं कार्यालय की सील होना आवश्यक है, संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) एवं अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) होने की पुष्टि में अभ्यर्थी को जिला प्रशासन/राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा जो कि आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से 01 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। इस प्रमाण–पत्र पर स्वयं का एवं पिता का नाम, उपनाम वही होना चाहिए जो कि अंक तालिका में है। किसी भी अभ्यर्थी के स्वयं अथवा पिता के नाम उपनाम, जाति आदि के संबंध में आवेदन–पत्र एवं अन्य प्रस्तुत प्रमाण–पत्रो में अन्तर पाये जाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश के 15 दिवस की अवधि में मूल प्रमाण–पत्रों के अनुरूप शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक होगा।
3. राज्य की समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थीयों के लिए 45 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण के अध्यधीन ही देय होगा। सीटे खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थीयों से भरी जा सकेगी। इसके पश्चात् भी स्थान रिक्त रहने पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थीयों से योग्यताक्रम अनुसार प्रवेश किये जायेगे। यह व्यवस्था सहरिया जाति युवाओं के लिये खोली गई औ.प्र.संस्थान, शाहबाद जिला बांरा एवं देवनारायण योजना अन्तर्गत खोली गई औ.प्र.संस्थान, बानसूर जिला अलवर, सैपउ जिला धौलपुर, झालरापाटन जिला झालावाड़, नादौती एवं सपोटरा जिला करौली, खण्डार जिला सवाईमाधोपुर पर एवं अल्पसंख्यक के हितार्थ औ.प्र. संस्थान, टोंक में मैकेनिक ट्रेक्टर एवं औ.प्र.संस्थान, जैसलमेर में मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय पर लागू नहीं होगें।
4. आरक्षण की इस व्यवस्था में अनुसूचित क्षैत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासी ही पात्र होगें। तथा अनुसूचित क्षैत्र के निवासी से तात्पर्य गृह विभाग द्वारा इस संबधं में समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों एवं विहित प्रक्रिया की अनुपालना में जारी प्रमाण पत्र धारक होगें।

अनुसूचित क्षेत्र :–

जिला	तहसील
बांसवाडा	घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुशलगढ़, अबापुरा, गांगडतलाई, गनोडा, सज्जनगढ, आनन्दपुरी, छोटी सरवन, अरथूना।
डूंगरपुर	डूंगरपुर, आसपुर, सांगवाड़ा, सिमलवाड़ा, झोथरी पाल, चीखली, गलियाकोट, बिछीवाडा, साबला, दोवडा, गामडी–अहाडा, पाल देवल, ओबरी।
प्रतापगढ़	धरियावद, पिपलखूट, अरनोद, प्रतापगढ़, छोटी सादडी, सुहागपुरा, दलोट
उदयपुर	गोगूदा (आंशिक), गिर्वा (आंशिक), कोटड़ा, झाड़ोल, लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, बडगांव (आंशिक), मावली (आंशिक), वल्लभनगर (आंशिक)
सिरोही	आबूरोड़, पिण्डवाडा (आंशिक)।
राजसमन्द	कुम्भलगढ (आंशिक), नाथद्वारा (आंशिक)।
चित्तोडगढ	बडी सादडी (आंशिक),
पाली	बाली (आंशिक)।

नोटः अनुसूचित क्षेत्र/आंशिक क्षेत्रों की नवीनतम जानकारी हेतु वेबसाइट http://tad.rajasthan.gov.in का अवलोकन करे।

6.2 श्रेणी–B: EXS(a)/EXS(b)/EXS(c)/EXS(d) (For Candidates belonging to military services only as per norms)

राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक प.1(47)त.शि./2007 दिनांक 18.03.08 के क्रम में **रक्षा कार्मिकों के आश्रितों हेतु** 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी में प्रवेश हेतु निम्न प्राथमिकता अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

आरक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी परिशिष्ट -I में दिये गये प्रारुप में आवश्यक प्रमाण–पत्र एवं Discharge certificate and Pension Payment Order के आवश्यक 2–3 मुख पृष्ठों की स्केन कॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत काउन्सलिंग के समय Discharge certificate and Pension Payment Order की मूल एवं इसकी एक स्व–प्रमाणित छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

(i)	EXS (a)	Killed in action.
(ii)	EXS (b)	Disabled in action and boarded out from service / Died while in service with death attributable to military service / Disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.
(iii)	EXS (c)	Gallantry Award Winners.
(iv)	EXS (d)	Ex-Servicemen.

1. The domicile requirement for the wards of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.
2. 50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilisation by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boy's category.
3. गैलन्ट्री अवार्ड विजेता के आश्रितों के अलावा शेष सभी सेवारत रक्षा कार्मिकों के पुत्र/पुत्रियों को इस आरक्षण का लाभ देय नहीं है।
4. बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये यह आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा।

6.3 श्रेणी–C: Physically Handicapped (PH),

राज्य के सभी संस्थानों में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों (PH) के उपलब्ध होने पर प्रत्येक व्यवसाय/एकक में प्रवेश क्षमता के 04 प्रतिशत स्थानों पर योग्यता क्रमांक के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। ये स्थान, जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है, उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे।

उक्त आरक्षण का लाभ वे समस्त विशेष योग्यजन ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अहर्ताएं पूरी कर सकते हों। विशेष योग्यजन अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप संबद्ध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएं पूरी करता है अथवा नहीं तथा वह किस व्यवसाय के योग्य है, इस संबंध में विशेष योग्यजन वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व **विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, 4–स–23, सूर्य पथ, जवाहर नगर, जयपुर** में उपस्थित होकर उपयुक्तता/पात्रता प्रमाण–पत्र लेकर ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आवेदन करें एवं इस संबंध में विशेष योग्यजन अभ्यर्थी संस्थान प्रधान से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

6.4 श्रेणी–D: Widow/ Divorcee :–

सभी व्यवसायो/यूनिटो में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत स्थान प्रत्येक वर्ग में आरक्षित रखे गये हैं। निर्धारित महिला अभ्यर्थियों के स्थानों में से विधवा और तलाक शुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित रखे गये हैं। जिनके उपलब्ध न होने पर ये स्थान उसी वर्ग में से अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

6.5 जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत आरक्षणः–

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, **बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, आबूरोड़, उदयपुर एवं महिला उदयपुर** में जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत नीचे **दी गई सारणी** अनुसार चल रहे व्यवसायों में उपलब्ध स्थानों में व्यवसायवार 100 प्रतिशत स्थानों पर जनजाति उप योजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी। सभी व्यवसायों में नियमानुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

:: जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत चल रहे व्यवसाय एवं एकक का विवरण ::

क्र. सं.	औ. प्र. संस्थान का नाम	व्यवसाय
1	बांसवाड़ा	1. वैल्डर 2. स्वीइंग टेक्नोलोजी 3. स्टेनोग्राफर सैक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) 4. ड्राईवर कम मैकेनिक (एलएमवी) 5. मेकेनिक मोटर व्हीकल 6. फिटर 7. इलैक्ट्रीशियन 8. इलैक्ट्रोनिक्स मेकेनिक
2	डूंगरपुर	1. वैल्डर 2. स्टेनोग्राफर सैक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) 3. प्लम्बर 4. स्वीइंग टेक्नोलोजी 5. मैकेनिक डीज़ल 6. ड्राईवर कम मैकेनिक (एलएमवी) 7. इलैक्ट्रीशियन
3	प्रतापगढ़	1. वैल्डर 2. मैकेनिक डीज़ल 3. स्टेनोग्राफर सैक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) 4. स्वीइंग टेक्नोलोजी 5. इलैक्ट्रोनिक्स मेकेनिक
4	आबूरोड़	1. मैकेनिक डीज़ल 2. स्टेनोग्राफर सैक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) 3. वायरमेन 4. फिटर 5. इलैक्ट्रोनिक्स मेकेनिक 6. इलैक्ट्रीशियन
5	उदयपुर	1. स्टेनोग्राफर सैक्रेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) 2. स्टेनोग्राफर सैक्रेट्रियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) 3. प्लम्बर 4. मैकेनिक डीज़ल 5. कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 6. ड्राईवर कम मैकेनिक (एलएमवी) 7. मेकेनिक मोटर व्हीकल 8. फिटर 9. इलैक्ट्रोनिक्स मेकेनिक 10. मशिनिष्ट
6	उदयपुर महिला	1. स्वीइंग टेक्नोलोजी

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, **बागीदौरा, कोटड़ा, सलुम्बर,** तथा **खैरवाड़ा** में निम्न सारणी अनुसार योजनान्तर्गत चल रहे व्यवसायों/एकक में 60 प्रतिशत स्थानों पर अनुसूचित जन–जाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जायेंगे। शेष 40 प्रतिशत स्थानों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश दिये जाऐंगे।

क्र. सं.	औ. प्र. संस्थान का नाम	व्यवसाय
1	बागीदौरा (बांसवाड़ा)	1. फिटर 2. वायरमेन 3. मैकेनिक डीज़ल
2	कोटडा (उदयपुर)	1. फिटर 2. मैकेनिक डीज़ल इंजन 3. वायरमेन 4. ड्राईवर कम मैकेनिक (एलएमवी)
3	सलुम्बर (उदयपुर)	1. वैल्डर 2. मैकेनिक डीज़ल 3. कारपेन्टर
4	खेरवाड़ा (उदयपुर)	1. मैकेनिक डीज़ल

नोटः– 1. उपरोक्त संस्थानों में जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ही उक्त प्रावधान होगा। अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के प्रवेश किये जायेंगे। इसके पश्चात् भी स्थान रिक्त रहने पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रम अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।

6.6 महिलाओं को प्रवेश में आरक्षणः–

5.6.1 सभी व्यवसायों में प्रत्येक वर्ग में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से विधवा एवं

तलाकशुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित रखे गये हैं। विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान उसी वर्ग/श्रेणी की अन्य महिला से भरे जायेंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार महिलाओं को राजकीय आईटीआई में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।

5.6.2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसलमेर, झालावाड़ एवं टोंक में स्वीइंग टेक्नोलोजी व्यवसाय एवं जालोर में कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (C.O.P.A.) में महिला अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा जिनमें से विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित रहेंगे। इन व्यवसायों में राज्य सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा।

5.6.3 उपरोक्त अनुसार महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता पर रिक्त स्थान उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे। फिर भी आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान सामान्य योग्यता सूची अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

6.7 अल्पसंख्यकों को प्रवेश में आरक्षणः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टोंक में मैकेनिक (ट्रैक्टर) एवं औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसलमेर में मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय में स्थानीय अल्पसंख्यकों को प्रवेश दिया जायेगा। स्थान रिक्त रहने पर सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जा सकेंगे। स्थानीय अल्पसंख्यक होने की पुष्टि में अभ्यर्थी को जिला प्रशासन/राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

6.8 देवनारायण योजना के अन्तर्गत प्रवेश में आरक्षणः–

देवनारायण योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बानसूर (कोटपूतली–बहरोड), सैपऊ (धौलपुर), झालरापाटन (झालावाड), नादौती (गंगापुरसिटी) व सपोटरा (करौली) एवं खण्डार (सवाईमाधोपुर) में क्षैत्रीय आरक्षित वर्ग 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गडरिया (गाडरी), गायरी 3. गाडिया–लोहार, गाडोलिया 4. गूजर, गुर्जर 5. राईका, रैबारी (देबासी) के क्षेत्रीय (संबंधित पंचायत समिति) अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए शेष रहे रिक्त स्थानों को क्षैत्रीय आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य क्षेत्र के उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश में वरियता प्रदान की जावेगी तत्पश्चात् सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से वरियता क्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा। क्षैत्रीय आरक्षित वर्ग होने की पुष्टि में अभ्यर्थी को जिला प्रशासन/राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

9.9 अति पिछड़ा वर्ग को प्रवेश में आरक्षण के संबंध मेंः–

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विद्यान मण्डल के अधिनियम संख्या प.2(12)विधि/2/2019 दिनांक 13.2.2019 द्वारा जारी अधिनियम के तहत अति पिछड़ा वर्ग के लिये शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये वार्षिक अनुज्ञात संख्या के संबंध में आरक्षण पांच प्रतिशत होगा।

6.10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को प्रवेश में आरक्षण के संबंध मेंः–

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.7(1)DOP/A-II/2019 Dated 19.02.2019 द्वारा जारी नोटिफिकेशन एवं प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प. 7(1)कार्मिक/क–2/19 दिनांक 22.02.2019 के निर्देशानुसार शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

6.11 सहरिया जाति के युवाओं को प्रवेश में आरक्षणः–

सहरिया जाति के युवाओं के लिए शाहबाद (बारां) में खुले नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सहरिया जाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान करते हुए, शेष रहे रिक्त स्थानों पर (सहरिया जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एवं तत्पश्चात् भी प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को वरियता क्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा।

सहरिया जाति/अनुसूचित जनजाति होने की पुष्टि में अभ्यर्थी को जिला प्रशासन/राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

6.12 ''संस्थान प्रबंधन समिति'' (आई.एम.सी.) स्थानो पर प्रवेश :– **"Upgradation of 1396 Government ITI's through Public Private Partnership"** के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य की 105 राजकीय औ. प्र. संस्थानों को निजी जनसहभागिता से क्रमोन्नत किया गया है। प्रत्येक संस्थान में प्रतिष्ठित उद्योग संघों से सम्बद्धता प्राप्त उद्योगपति की अध्यक्षता में ''संस्थान प्रबंधन समिति'' (आई.एम.सी.) का गठन कर इनका पंजीकरण सोसायटी के रुप में किया गया है।

इस योजनान्तर्गत इन **105** राजकीय औ.प्र.संस्थानों में संचालित व्यवसाय/एककों में प्रवेश सामान्य प्रक्रिया के तहत ही किये जायेंगे, परन्तु अधिकतम प्रवेश का 20 प्रतिशत प्रवेश आई.एम.सी. द्वारा किये जायेंगे। इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

क्र. सं.	प्रायोजित अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु बिन्दुवार विवरण	
	English version	**हिन्दी अनुवाद**
A	Since, this scheme is for overall upgradation of ITI, therefore 20% admission to be determined by IMC, may cover all trades.	चूंकि यह योजना औ. प्र. संस्थान को पूर्ण रूपेण अपग्रेड करती है। अतः संस्थान के समस्त व्यवसाय/एककों में आई.एम.सी. द्वारा 20 प्रतिशत प्रवेश किये जा सकेंगे।
B	Candidates sponsored (whose fees will be paid by industry or candidate) from industry having industry experience of 2 years with requisite educational qualification, will be given first priority.	प्रायोजित प्रशिक्षणार्थियों (जिनका प्रशिक्षण शुल्क अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा अथवा संबंधित उद्योगों के द्वारा दिया जायेगा) एवं जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो तथा जिन्हें दो वर्ष का औद्योगिक अनुभव प्राप्त हो, को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
C	IMC seats will be filled before the general admissions in ITI.	आई.एम.सी. स्थान पर प्रवेश औ. प्र. संस्थानों में सामान्य प्रवेश से पूर्व किये जायेंगे।
D	Reservation guidelines as per State Govt. provisions are to be followed. IMC seats will be filled with horizontal reservation. 20% seat will be reserved for IMC in each category i.e., Gen/SC/ST/OBC. This comes out to be one seat in each category.	आरक्षण संबंधी निर्देश राज्य सरकार के प्रावधानानुसार समान रूप से मान्य होंगे। 20 प्रतिशत आई.एम.सी. स्थानों पर आरक्षण प्रत्येक वर्ग हेतु क्षैतिज रूप में रहेगा, अर्थात सामा./अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व.। यह न्यूनतम एक स्थान प्रत्येक वर्ग हेतु रहेगा।
E	If the number of industry sponsored candidates are more than the IMC seats, admissions will be given on the basis of merit list. (Based on educational qualification).	आई.एम.सी. स्थानों के लिए उद्योगों द्वारा प्रायोजित अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश शैक्षणिक योग्यता की मैरिट के आधार पर किये जायेंगे।
F	The fees for IMC seats will be decided by the IMC of the ITI before the admissions.	आई.एम.सी. स्थानों का प्रशिक्षण शुल्क भी आई.एम.सी. के द्वारा प्रवेश से पूर्व निर्धारित किया जायेगा।
G	If industry sponsored candidates are not available, candidates from respective merit list of ITI for admission, on the respective date will be offered these seats with the fees as per regular scheme.	यदि उद्योगों द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता हो तो इन स्थानों को नियमित योजना के व्यवसाय/यूनिट में मर्ज कर नियमित योजना की फीस पर मेरिट अनुसार प्रवेश किये जाएगें।

*उपरोक्त दोनो अनुवादों में किसी प्रकार का विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद मान्य होगा।

7. प्रथम चरणः–

7.1 आई.एम.सी. (IMC) द्वारा किये जाने वाले प्रवेश के योग्य अभ्यर्थियों को संस्थान व व्यवसाय में सीट आवंटन किया जावेगा।

7.2 ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् जारी मेरिट सूची अनुसार सर्वप्रथम केटेगरी **B** (For Candidates belonging to Ex-Servicemen only as per norms), **C** (Physically Handicapped-PH), **D** (Widow/ Divorcee) के योग्य अभ्यर्थियों को संस्थान व व्यवसाय में सीट का आवंटन किया जावेगा।

7.3 उपरोक्त केटेगरी B, C, D तथा आई.एम.सी. (IMC) द्वारा किये जाने वाले प्रवेश के अभ्यर्थियों को सीट आवंटन हो जाने के उपरान्त आनलाईन आवंटन में आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। इसके उपरान्त शेष रहे अभ्यर्थियों को इन श्रेणियों का **लाभ नहीं देते** हुए, ऑनलाईन सीट आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

8. **द्वितीय चरणः– केन्द्रीकृत ऑनलाईन द्वारा संस्थान व व्यवसाय आवंटन की प्रक्रिया** व्यक्तिगत काउन्सलिंग के उपरान्त शेष रहे समस्त अभ्यर्थियों के लिये संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन उनके द्वारा भरे गये विकल्प पत्र (option form) में अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमांक एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा। यह आवंटन पूर्णतया अन्तरिम (Provisional) होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विकल्प पत्र में प्रस्तुत विकल्पों

में से सीट आवंटन नहीं होती है अर्थात choice exhausted हो जाती हैं, उन्हें स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जायेगा।

9. **रिपोर्टिंग करने की प्रक्रियाः**

प्रथम आवंटन के उपरान्त वे अभ्यर्थी जिन्हें संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन होता है, वे आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर ऑनलाईन आवेदन पत्र के प्रिन्ट के साथ मूल प्रमाण–पत्रों की जांच करवायेंगे। साथ ही उसे मूल प्रमाण–पत्रों की 1–1 स्वप्रमाणित फोटो प्रति व प्रशिक्षण हेतु निर्धारित फीस संस्थान में जमा करवानी होगी। **अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजो की जॉच की समस्त जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थान की होगी।** निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा एवं उस स्थान को प्रवेश के आगामी चरणों में रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

10. **अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु प्रक्रियाः–**

प्रथम आवंटन में आवंटित संस्थान एवं व्यवसाय के आधार पर निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करने के पश्चात् शेष रहे स्थानों पर विकल्प पत्र में प्रस्तुत उच्च विकल्पों पर प्रवेश दिये जाने की प्रक्रिया अपवर्ड मूवमेन्ट कहलाएगी। प्रथम आवंटन में जिन अभ्यर्थियों को संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन हो जाता है, यदि ये अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेन्ट में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित दिनांक तक पोर्टल पर अपनी **सहमति** देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्पों के आधार पर ही अपवर्ड मूवमेन्ट द्वारा शेष रहे स्थानों को भरा जायेगा। अपवर्ड मूवमेन्ट होने पर अभ्यर्थी को पूर्व में किया गया आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा।

11. **तृतीय चरणः– केन्द्रीकृत ऑनलाईन द्वारा संस्थान व व्यवसाय आवंटन की प्रक्रिया**

प्रथम आवंटन की रिर्पोटिंग के पश्चात् रिक्त रहे स्थानों पर choice exhausted and upward movement द्वारा अभ्यर्थियों को द्वितीय आवंटन किया जायेगा।

द्वितीय आवंटन उपरान्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम बार सीट आवंटन हुआ है, वे रिपोर्ट करने के लिये आवंटित संस्थान में उपस्थित होंगे। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया प्रथम रिपोर्टिंग की भांति ही रहेगी। जिन अभ्यर्थियों के अपवर्ड मूवमेन्ट के बाद द्वितीय आवंटन के कारण संस्थान/व्यवसाय परिवर्तित होता हैं, उन्हें अंतिम आवंटित संस्थान/व्यवसाय में रिपोर्ट करना है, अन्यथा उनका प्रथम एवं द्वितीय आवंटन निरस्त हो जायेगा।

12. **अंतिम आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना** :– समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय आवंटन में संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन हुआ है, वे निर्धारित अवधि में अंतिम आवंटित संस्थान में समस्त मूल प्रमाणपत्र (जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया है) एवं निर्धारित शुल्क सहित रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं करने पर उनका आवंटन रद्द हो जायेगा। रिपोर्टिंग के समय इनके समस्त मूल प्रमाणपत्र संस्थान में जमा कर लिये जायेंगे। ये मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थी का DGT के NCVT MIS PORTAL पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात् सम्बन्धित संस्थान द्वारा लौटा दिये जायेंगे।

13. **इन्टरनल स्लाईडिंगः**

आनॅलाईन इन्टरनल स्लाईडिंग के तहत प्रत्येक संस्थान में ऑनलाईन काउन्सलिंग के प्रथम एवं द्वितीय आवंटन तथा उसकी रिपोर्टिंग का कार्य पूर्ण होने पर संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों को अन्तर व्यवसाय परिवर्तन का अवसर दिया जायेगा। इस हेतु व्यवसाय वार रिक्त रहे स्थानों पर ऑनलाईन आवेदन में भरे गये विकल्प की उच्च प्राथमिकता अनुसार व्यवसाय की इन्टरनल स्लाईडिंग की जायेगी।

14. **अन्य सामान्य अनुदेश एवं अनुशासनात्मक नियम :–**

1. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपा कर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर, उसका प्रवेश रदद् कर दिया जायेगा।
2. सुरक्षा एवं अनुशासन की दृष्टि से राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों (छात्र/छात्रा) को स्काई ब्ल्यू शर्ट/कुर्ता, नेवी ब्ल्यू पेन्ट/सलवार एवं काले बूट/बेली पहननी होगी।
3. प्रवेश के बाद अभ्यर्थी किसी और पाठ्यक्रम अथवा संस्थान मे नियमित अथवा अंशकालीन रूप से अध्ययन नहीं कर सकेगा तथा किसी अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षा में नियमित अथवा स्वयंपाठी के रूप में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. परीक्षा में बैठने के लिये नियमानुसार आवश्यक 80 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण करनी होगी। किसी प्रशिक्षणार्थी के बिना पूर्व सूचना व अनुमति के संस्थान से अनुपस्थित रहने, उपस्थिति व प्रगति असंतोषजनक होने, संस्थान के अनुशासन को भंग करता पाये जाने अथवा उसका व्यवहार शैक्षणिक वातावरण के प्रतिकूल होने पर आचार्य/अधीक्षक को रू. 500/– तक का आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाने, किसी भी अवधि के लिये संस्थान से निलम्बन करने या संस्थान से नाम पृथक करने का अधिकार है।
5. विशेष मामलों में लिखित में भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन देने पर सम्बन्धित संस्थान के आचार्य/अधीक्षक की अभिशंषा पर संबंधित उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति से पुनः प्रवेश शास्ति के रूप में शुल्क रू. 500/– जमा कराने पर पुनः प्रवेश किया जा सकेगा। संस्थान से पृथक किये गये प्रशिक्षणार्थी को पुनः प्रवेश केवल उसी परिस्थिति में होगा जब उसकी उपस्थिति परीक्षा से पूर्व नियमानुसार पूर्ण होना संभावित होगी। संस्थान से नाम पृथक् करने एवं पुनः प्रवेश के बीच की अवधि को अनुपस्थिति में गिना जायेगा। यदि इस कारण से उसकी उपस्थिति कम हो जाती है और वह प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाता है, तो प्रशिक्षणार्थी स्वयं इसके लिये उत्तरदायी होगा।

15. प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को सुविधाएंः–

1. जिन संस्थानों में छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है, उन संस्थानों में छात्रावास की सुविधा हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को भोजन, बिजली व पानी का खर्चा स्वयं को वहन करना पड़ेगा।
2. छात्रावास न होने पर छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

16. राज्य के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु शुल्क

क्रमांक	मद का विवरण	शुल्क
1	अवधान द्रव्य पूरे सत्र हेतु	रू. 1000/–
2	प्रशिक्षण शुल्क एक/दो वर्षीय व्यवसायों के लिए प्रति वर्ष। **(राज्य सरकार के आदेशानुसार राजकीय आईटीआई में महिलाओं से प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।)**	रू. 2400/– प्रति वर्ष
3	प्रशिक्षण शुल्क छः माह पाठ्यक्रम व्यवसायों के लिए। **(राज्य सरकार के आदेशानुसार राजकीय आईटीआई में महिलाओं से प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।)**	रू. 1200/–

नोटः–

1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 7(14)श्र.नि./2018 जयपुर दिनांक 01.10.2018 द्वारा राजकीय आईटीआई में महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण की स्वीकृति जारी की गई है।
2. अतिरिक्त निदेशक (जीआईएस), साधारण बीमा निधि राजस्थान जयपुर के पत्रांक F.324(Part v-SSI Govt. Class 1-12) under/16-17/1593&1600 दिनांक 01.08.2022 अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित सभी परिवारों पर लागू होने के फलस्वरूप उक्त परिवारों के सभी विद्यार्थियों को भी दुर्घटना बीमा योजना का बीमा कवर उपलब्ध हो चुका है और इसमें विद्यार्थी स्वतः ही शामिल हो गये हैं।
3. प्रवेश लेने वाले सभी वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों (महिला प्रशिक्षणार्थियों के अलावा) को एक/दो वर्षीय व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण शुल्क प्रति वर्ष रू. 2400/– जमा कराना होगा। तथा छः माह पाठ्यक्रम अवधि व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण शुल्क 1200/– जमा कराना होगा।
4. अवधान द्रव्य प्रशिक्षण पूरा करने तथा अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को वापस देय होगा।
5. प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रशिक्षण हेतु संस्थान में उपस्थित नहीं होना, प्रशिक्षण अधूरा छोड़ने एवं नाम पृथक् किये जाने की स्थिति में किसी प्रकार का शुल्क वापस देय नहीं होगा।
6. बिन्दु सं. 5 में वर्णित प्रकरणों में अवधान द्रव्य (कॉशन मनी) को दण्ड के रूप में राजकोष में जमा किया जायेगा।
7. प्रशिक्षण सत्र समाप्ति के 3 वर्ष पश्चात् तक अवधान द्रव्य न लेने पर यह देय नहीं होगा तथा राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

17. राज्य के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रावास शुल्क

छात्रावास में स्थान उपलब्ध होने पर छात्रावास में रहने वाले सभी श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों को निम्न प्रकार से प्रवेश के समय ही शुल्क जमा कराना होगा।

क्रमांक	मद का विवरण	शुल्क
1	छात्रावास पंजीयन शुल्क अन्य वर्ग के लिए	रू. 100/-
2	छात्रावास पंजीयन शुल्क अनु0 जाति/जनजाति के लिए	रू. 25/-
3	छात्रावास अवधान द्रव्य पूर्ण सत्र हेतु	रू. 200/-
4	पानी व बिजली अग्रिम	रू. 200/-
5	छात्रावास शुल्क प्रतिमाह	रू. 50/-

नोटः- छात्रावास के लिए अलग से लगाए गए मीटर के अनुसार पानी व बिजली के आए खर्चे को छात्रावास में रहने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों में बराबर बांटा जाकर राशि वसूल की जावेगी। छात्रावास छोड़ने के साथ बिजली व पानी की राशि का अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर छात्रावास अवधान द्रव्य एवं पानी व बिजली अग्रिम राशि रू. 200/- लौटा दी जायेगी।

18. प्रवेश अनुमति प्राप्त प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण शुल्क :

प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण संबंधीत संस्थानों द्वारा अपने स्तर पर किया जाएगा। जिसकी सूचना प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी इसका अवलोकन कर आवेदन करें।

CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY DEPENDENT OF DEFENCE PERSONNEL

(To be attached with application form)

No.:……………………… Date: ……………………

I …………………………………………………………………………………………certify that
(Service No. Rank & Name of the Certifying Officer)

……………………………………………………………………………………… who is
(Service No. Rank & Name of defence personnel)

natural father/mother of ……………………………………………… is/was Defence Person

(Name of Applicant)

His/Her particulars are as follows:

1. Service No., Rank and Name of the person ………………………………………………………………
2. Name of the Unit last Served ……………………………………………………………………………
3. Date of enrolment ……………………… Date of death/discharge/retirement ………………………
4. He/She is/was ex-serviceman of Rajasthan origin and his/her home town as given by him/her at the time of his/her entry into service is ………………………
5. His/Her Registration/Identity Card No. is …………………………… dated ……………………………
   and P.P.O. No. is ………………………………….

Category of defense persons for priority :

(Tick (√) which every is applicable and strike off whichever is not applicable)

EX-S(a) - Killed in Action

EX-S(b) - Disabled in action and boarded out from service / Died while in Service with death attributable to Military Service / Disabled in service and boarded out with disability attributable to Military Service. **Yes | No**

EX-S(c) - Gallantry Award Winner. **Yes | No**

EX-S(d) - Ex- Servicemen **Yes | No**

Signature _____________

Name ____________________

Seal of Officer **District Soldier Welfare Officer/ Commanding Officer**

Name of District / Unit Number ____________

NOTE:

1. Strikeout whichever is not applicable.
2. Definition of Ex-serviceman shall be as per Hand Book on Resettlement of Ex-servicemen (1995).
3. The domicile requirement for the ward of the Defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off for wards of Defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan. The domicile condition is waived off to enable them to appear in the entrance test and be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.
4. 50% of the reserved seats will be earmarked for the girls. In case of non-utilization by girls, the unutilized vacancies would revert back to the boys category.
5. Defence personnel should be of Rajasthan origin. The state of origin and the home town as entered in the discharge certificate/record shall only be accepted as proof in respect of above.
6. Copies of discharge certificate and P.P.O. should be submitted with the application and originals should be brought at the time of manual counseling**.**

Certificate regarding Scheduled Caste/Tribe/ Non Creamy Layer OBC/MBC

(This format is to be used with application form if the certificate issued by competent authority is not available
इस प्रारुप का उपयोग तभी किया जावे यदि सक्षम अधिकारी
द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र पूर्व से आवेदक के पास नहीं हो)

No: __________ Date:_________

I ____
(Name of the District Magistrate/ Addl. District Magistrate/ S.D.M./ Tehsildar)

certify that Shri/ Ku. ________________________________ is the natural born (not adopted)

son/daughter of Shri ________________________________ and belongs to Scheduled Caste/

Scheduled Tribe/ Non-Creamy Layer OBC/ Non-Creamy Layer MBC* _________________________

(Name of the caste) by birth as notified under Presidential Order for the State of Rajasthan in

_________________ (village/tehsil) District __________________.

Court Seal :
Date: Signature of the District Magistrate
ADM/SDM/Tehsildar

(This certificate must be signed by an Officer not below the rank of District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Sub Divisional Magistrate/ Tehsildar of the District/Sub Division/Tehsil of which the candidate is a resident)

* अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग के नॉन क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र यदि एक वर्ष से पुराना हो तो निर्धारित प्रमाण पत्र के साथ परिशिष्ट–III में निर्धारित आय प्रमाण पत्र का प्रारुप प्रस्तुत करना होगा।

परिशिष्ट– III

नॉन क्रिमीलेयर सम्बन्धी
शपथ–पत्र

आवेदक का आधार नम्बर...

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या...

मैं..पुत्र/पुत्री श्री...

निवासी..गांव/षहर........................

....तहसील...जिला.............................

राजस्थान का/की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ किः–

1. मैं राजस्थान के पिछड़े वर्ग की अधिकृत सूची दिनांक 17.8.1993 में सम्मिलित वर्ग अन्य/अति पिछड़ा वर्ग की जाति....... ....का/की सदस्य हूँ।
2. मेरे माता/पिता राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूचित के स्तम्भ 3 में उल्लेखित संवैधानिक पद केन्द्रिय व राज्य सेवाओं के समूह क वर्ग–1, समूह ख वर्ग–2 के अधिकारी तथा भारतीय स्थल/जल/वायु सेवा के कर्नल के समान पदों पर नहीं हैं/नही थे।
3. मेरे माता/पिता सरकारी/निजी क्षेत्र में...पद पर कार्यरत है/थे।
4. मेरे माता/पिता की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय..रूपये हैं।
5. मैं उपरोक्त प्रकरणों की साक्ष्य हेतु आवष्यक प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूं।
6. मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माईग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये है।
7. कि मैंने किसी भी जिले/प्रदेष से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

<u>सत्यापन</u>

मैं सत्यापित करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त विशिष्ठिया मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और मैं अन्य पिछड़े वर्गो की किमीलेयर का हूं/नहीं हूं और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किये जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पष्चात् किसी भी सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर, मेरी अभ्यर्थता/प्रवेश रद्द कर दी जावेगी और मैं ऐसी समस्त कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा/ होऊंगी जो विधि और नियमों के उपलब्धित की जावेगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

(नोटः– उत्तरदायी व्यक्ति से आशय संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद् /सदस्य/ संरपच/ राजकीय अधिकारी/राजकीय कर्मचारी से है।)

नाम व उपनाम में अन्तर होने बाबत् शपथ पत्र का प्रारुप

(आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे)

मैं .... (नाम) पुत्र/पुत्री श्री .... (पिता का नाम) आयु .... जाति .... निवासी ....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ किः–

1. मेरा नाम व उपनाम मेरे पढाई के दस्तावेजों व जाति सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों में .... (नाम जैसा कि प्रमाण पत्रों में लिखा है) लिखा हुआ है लेकिन वास्तविकता में मेरा नाम .... (जैसा अंकतालिका में अंकित है) होना चाहिये जो अधूरा लिखा हुआ है।

सत्यापन

मैं अपने प्रार्थनापत्र की मद सं. 1 को अपनी निजी जानकारी में सही व सत्य होना स्वीकार करता/करती हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे।

स्थान : ....

दिनांक : ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पता ....

....

....

(अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित किया जावें)